

3874
28/12/17

फैक्स/ई-मेल

पत्रांक 7869

संख्या-जे0ए0/बीस-1(2017-18) 5 32 एसटी (कैम्प)

दिनांक: 26-12-17

प्रेषक,

ADM(FIR)

आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल,
फैजाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर उ0प्र01
26/12/2017

1- पुलिस महानिरीक्षक,
फैजाबाद परिक्षेत्र,
फैजाबाद।

2- जिलाधिकारी,
फैजाबाद/बाराबंकी/अम्बेडकरनगर/सुलतानपुर/अमेठी।

विषय:

"सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003". (सी0ओ0टी0पी0ए0-2003) के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह(पुलिस) अनुभाग-15, लखनऊ के पत्र संख्या-397/6-पु-15-2017, दिनांक 14.11.2017 जो आपको तथा मण्डलायुक्त को सम्बोधित है, की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 14.11.2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक माह की 15 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संख्या:- 1918
एसटी (एडीएम)

1- मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकरनगर

2- पुलिस अधीक्षक,
अम्बेडकरनगर

3- न्याय सहायक, कलेक्ट्रेट

कृ० उपरोक्त तमाम कार्यालयों को कष्ट कदे।

भवदीय,

(छोटे लाल पासी)
अपर आयुक्त(प्रशासन),
कृते आयुक्त।

के. डी. गुप्ता
Nodal

अपर जिलाधिकारी
(वित्त एवं राजस्व)
अम्बेडकर नगर
27-12-2017

27/12/17